[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

संख्या 24/2024-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि.....(अ)-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले धातु स्क्रैप की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।"।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

(अमृता टाइटस)

उपसचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्यांक 5/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।